राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1572/2013/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत–जी, जयपुर .....**अपीलार्थी.**

बनाम्

मैसर्स गंगाधर नरसिंह दास अग्रवाल,
एच.यू.एफ., 203 नवजीवन कॉम्पलेक्स स्टेशन रोड, जयपुर .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक। .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

दिनांक : 17.11.2016

निर्णय

1. उक्त अपील राजस्व की ओर से उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा गया है) के अपील सं. 253/अपील्स–1/आरवीएटी/जी/जयपुर/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.11.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2009–10 को तिमाही रिटर्न (तृतीय, चतुर्थ) विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति रूपये 14,050/– रूपये आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 20.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.01.2013 द्वारा अपील स्वीकार की गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। यद्यपि अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.01.2013 में कर निर्धारण आदेश की दिनांक 04.01.2012 अंकित है। किन्तु रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धरण आदेश दिनांक 20.12.2011 को पारित किया गया था।

3. अपीलार्थी की ओर से राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा वर्ष 2009–10 का तृतीय एवं चतुर्थ त्रिमाही विवरण प्रपत्र वेट–10 दिनांक 13.12.2011 तथा वार्षिक विवरण प्रपत्र

लगातार.....2

17/11/16

वेट–10ए दिनांक 15.12.2011 को पेश किया गया जो कि विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा त्रिमाही विवरण प्रपत्र वेट–10 तथा वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट–10A विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति आरोपित की गयी, जो कि विधिक सम्मत है। अतः राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 20.12.2011 का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.01.2013 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20.12.2011 के माध्यम से प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा वर्ष 2009–10 का तृतीय एवं चतुर्थ त्रिमाही विवरण प्रपत्र वेट–10 दिनांक 13.12.2011 तथा वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट–10ए दिनांक 15.12.2011 को पेश किये गये थे जिनको विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना मानकर धारा 58 के अधीन 14,050/– रूपये शास्ति आरोपित की गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 का समस्त तिमाही रिटर्न वेट–10 दिनांक 15.11.2011 को जमा करा दिये गये थे। जबकि अधिसूचना दिनांक 30.03.2011 के अनुसार उक्त आलौच्य अवधि के विवरणियों को जमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.09.2011 तक बढ़ा दी गई थी। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि की विवरण प्रपत्र समयावधि में ही प्रस्तुत कर दिया गये थे। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कियेः–

(i) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सिंघवी एंटरप्राईजेज, जोधपुर (2012) 33टीयूडी 239(आरटीबी)
(ii) सहायक आयुक्त जोधपुर बनाम मैसर्स रामनारायण मार्बल टाईल्स, जोधपुर (2010) 26 टीयूडी 221 (आरटीबी)
(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स कांट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर बनाम कृष्णा एंटरप्राईजेज, उदयपुर (2009) 23टीयूडी 47 (आरटीबी)
(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बूंदी बनाम गोपीलाल रतनलाल, बूंदी (2009) 25 टीयूडी) 25 टीयूडी 321(आरटीबी)

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह भी कथन रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में शास्ति आरोपण से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा न ही सुनवायी को भी कोई अवसर प्रत्यर्थी व्यवहारी को प्रदान किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने उक्त तर्कों के आधार पर राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील न्याय सिद्धान्तों एवं विधिक प्रावधनों के विरूद्ध होने से राजस्व की अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

17/11/16

लगातार.....3

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.12.2011 में प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2009–10 की तृतीय तथा चतुर्थ विवरण प्रपत्र वेट–10 तथा वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट–10A विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति रूपये 14,050/– आरोपित की। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2011 को अधिसूचना जारी की गई जो निम्न प्रकार है:–

S.No. 2766[no.F.12(25)FD/Tax/11-169]Dated: 30-03-2011

In exercise of powers conferred by section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the state Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-10, by the dealers who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 up to 1 [30.09.2011]

1. Substituted for "31-03-2011" by (S.No. 2773) dated 01-04-2011 and further subs for "13-04-2011" by (S.No. 2781) dated 15-04-2011 .

Superseded by (S.No. 2825) dated 15-09-2011

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई कि वर्ष 2009–10 के विवरण प्रपत्र एवं समस्त बकाया कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा कराने पर व्यवहारी द्वारा अदा किये जाने वाली शास्ति एवं ब्याज माफ (*waive*) किया जाता है।

7. कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई कर बकाया नहीं पाया है। केवल आलोच्य अवधि के तृतीय एवं चतुर्थ विवरण प्रपत्र वेट–10 तथा वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट–10A को विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना माना है। रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.12.2011 में प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधि 2009–10 के तृतीय एवं चतुर्थ विवरण प्रपत्र वेट–10 जो दिनांक 13.12.2011 तथा वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट–10A जो दिनांक 15.12.2011 को पेश किये गया, जिनको विलम्ब से पेश किया जाना माना गया। ऊपर वर्णित अधिसूचना दिनांक 30.03.2011 के अनुसार समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये, जो विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।

8. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि कर निर्धारण वर्ष 2009–10 के त्रैमासिक विवरण प्रपत्र VAT-10 एवं वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति आरोपित की गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व व्यवहारी को इस संबंध में विशिष्ट नोटिस दिया जाना

लगातार.....4

17/11/16

आज्ञापक है। इस संबंध में राजस्थान वेट नियम, 2006 का नियम 48 में स्पष्ट प्रावधान है जो निम्न प्रकार से है :–

Rule 48. Granting Opportunity of hearing and recording of reasons

Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority of officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard.

9. प्रत्यर्थी व्यवहारी का यही आक्षेप रहा है कि धारा 58 के तहत् शास्ति आरोपण के पूर्व उसे इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस प्रकार उसे शास्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। पत्रावली मय रिकॉर्ड के अवलोकन से विलम्ब के कारण शास्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व व्यवहारी को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। जो कि शास्ति आरोपण से पूर्व एक आज्ञापक प्रावधान है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि शास्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व व्यवहारी को विशिष्ट नोटिस दे कर उस संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विशिष्ट नोटिस दिये बिना ही धारा 58 के तहत् शास्ति आरोपित किया जाने का आदेश दिनांक 04.01.2012 विधि सम्मत नहीं है।

10. अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी को उसके विरूद्ध धारा 58 के तहत् जो शास्ति अरोपित की गई है उसके संबध में सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना न्याय संगत होगा।

11. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 10.01.2013 को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह प्रत्यर्थी व्यवहारी को विधिसम्मत नोटिस जारी कर उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् निर्णय की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्तर्गत पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

12. निर्णय सुनाया गया।

17/11/16

(राजीव चौधरी)
सदस्य